# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–17 / 2022 दायर दिनांक: 01.02.2022

GCMS NO:- 2022/40 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

भंवरलाल आ0 बदरीलाल जाति मीणा नि0 संग्रामगंज ग्र0प0 आंतरदा तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जर्ये भूस्वामी तहसीलदार नैनवॉ।
2. धनपाल आ0 शोकरण जाति मीणा नि0 संग्रामगंज तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण–

**प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट**

**उपस्थिति–**
**प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विमल कुमार साहू।**
**अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार मीना।**

**निर्णय दिनांक 30.5.2025**

## निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम संग्रामगंज प0म0 आंतरदा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 49 की खसरा नम्बर 102, 109, 88 का राजस्व जमाबन्दी संवत् 2076–79 मे अंकन हो रहा है जो प्रार्थी की तन्हा खातेदारी आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की भूमियां है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 109 पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से ही खसरा नम्बर 106 मे होते हुए रोड तक पहुंचते है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया हुआ है। जिसे प्रार्थना पत्र मे आगे विवादित रास्ते के नाम से पुकारा जावेगा। यह कि खसरा नम्बर 106 सरकारी बंजड भूमि है, खसरा नम्बर 106 की भूमि के रूप मे राजस्व नक्शे मे तरमीम नही होने से उक्त खसरा नम्बर 106 की भूमि को गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों ने जबरन ताकत के बल पर अतिक्रमण कर हांक जोत कर फसल बुआ दी है जिससे प्रार्थी का अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 109 पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी का अपने खातेदारी भूमि पर पहुंचने का रास्ता नही है। प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 109 पर पहुंचने के लिए करीब 15–20 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है जिसके लिए प्रार्थी प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार मीना द्वारा नो इन्सट्रक्शन दिनांक 30.5.2025 को होना अवगत कराया जिसकी पुष्टि आर्डर शीट पर अंकित है।

बहस एकपक्षीय सूनी गयी। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 109 पर जाने के लिए परिशिष्ट अ मे अंकित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। बहस मे किये गए विवेचन, प्रार्थना–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि ग्राम संग्रामगंज मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 109 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 106 व 107 मे से रास्ता दिया जाना उचित होगा अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार तहसील नैनवॉ के ग्राम संग्रामगंज स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 109 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 106 व 107 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाता है। नक्शा ट्रेस जिसमे लाल स्याही से रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट क नाम दिया जाता है जो इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगाः–

## रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

| खसरा नं0 | खातेदार | किस्म | लम्बाई | x चौडाई | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | सिवायचक (सरकारी) | बंजड | 54 गट्ठा (356 फीट) | x 2 गट्ठा (16 फीट) | 108 वर्गगट्ठा (5696 वर्गफीट) अर्थात 0.0529 हैक्टयर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 107 | धनपाल मीणा (खातेदारी) | माल II | 8 गट्ठा x 3 गट्ठा / 2 | 12 वर्गगट्ठा |
| | | | (53 फीट) x (20 फीट) / 2 | (530 वर्गफीट) अर्थात 0.0049 हैक्टयर |

**कुल क्षेत्रफल = 120 वर्गगट्ठा या 6226 वर्गफीट या 0.0578 हैक्टयर**

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के प्रस्तावित रास्ता अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर प्रार्थी का रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ